



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18032024-253216
CG-DL-E-18032024-253216

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1404]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 18, 2024/फाल्गुन 28, 1945

No. 1404]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 18, 2024/PHALGUNA 28, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2024

सं. 79 / 2023

विषय: आईटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) में [एक्जिम कोड 31021010] के तहत यूरिया की आयात नीतिगत शर्त में संशोधन के संबंध में।

का.आ. 1473(अ).—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 और धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा आईटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 31 के यूरिया [एक्जिम कोड 31021010] की नीतिगत शर्त में तत्काल प्रभाव से, निम्नानुसार संशोधन करती है (संशोधनों को मोटे अक्षरों में दिया गया है):

एक्जिम कोड	मद विवरण	मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्त
31021010	उर्वरक श्रेणी, मानक आईएस 5406 के अनुरूप	विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 2.21 के अध्याय आरसीएफ और एनएफएल के माध्यम से आयात अनुमत है। इसके अलावा, यूरिया का आयात 31.03.2024 तक की अवधि के लिए आईपीएल के माध्यम से भी अनुमत है।	विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 2.21 के अध्याय आरसीएफ और एनएफएल के माध्यम से आयात अनुमत है। इसके अलावा, यूरिया का आयात 31.03.2025 तक की अवधि के लिए आईपीएल के माध्यम से भी अनुमत है।

	सरकारी खाते में यूरिया के आयात (कृषि प्रयोजन के लिए) की अनुमति या तो नामित एसटीई द्वारा स्वयं या किसी भी इकाई/इकाईयों (उर्वरक विपणन इकाईयों) के माध्यम से दी जाएगी, जो भारतीय पत्तनों पर प्रविष्टि बिल प्रस्तुत करने के लिए समय-समय पर उर्वरक विभाग द्वारा प्राधिकृत की जाती हैं।	सरकारी खाते में यूरिया के आयात (कृषि प्रयोजन के लिए) की अनुमति या तो नामित एसटीई द्वारा स्वयं या किसी भी इकाई/इकाईयों (उर्वरक विपणन इकाईयों) के माध्यम से दी जाएगी, जो भारतीय पत्तनों पर प्रविष्टि बिल प्रस्तुत करने के लिए समय-समय पर उर्वरक विभाग द्वारा प्राधिकृत की जाती हैं।
--	---	---

इस अधिसूचना का प्रभाव: सरकारी खाते में यूरिया (कृषि ग्रेड) के आयात को इंडियन पोटाश लिमिटेड (आईपीएल) के माध्यम से विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 2.21 के अध्याधीन दिनांक 31.03.2025 तक अनुमत किया गया है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/89/180/102/एम-02/पीसी-2(क) पार्ट-II/ई-1715]

संतोष कुमार सांरगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th March, 2024

No. 79/2023

Subject: Amendment in import policy condition of Urea [Exim Code 31021010] in the ITC (HS) 2022, Schedule – I (Import Policy) - Regarding.

S.O. 1473(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 and Section 5 of Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy (FTP), 2023, as amended from time to time, the Central Government hereby amends the policy condition of Urea [EXIM code 31021010] of Chapter 31 of ITC (HS), 2022, Schedule – I (Import Policy), with immediate effect, as under (**changes made are given in bold letters**):

Exim Code	Item Description	Existing Policy Condition	Revised Policy Condition
31021010	Fertilizer grade conforming to Standard IS5406	Import allowed through RCF and NFL subject to Para 2.21 of Foreign Trade Policy, 2023. In addition import of Urea is also allowed through IPL for a period up to 31.03.2024 . Import of Urea (for agriculture purpose) on Government Account shall be allowed either by designated STEs itself, or through any entity/entities (Fertilizer Marketing Entities) so authorized by the Department of Fertilizers from time to time, for filing BEs at Indian ports.	Import allowed through RCF and NFL subject to Para 2.21 of Foreign Trade Policy, 2023. In addition import of Urea is also allowed through IPL for a period up to 31.03.2025 . Import of Urea (for agriculture purpose) on Government Account shall be allowed either by designated STEs itself, or through any entity/entities (Fertilizer Marketing Entities) so authorized by the Department of Fertilizers from time to time, for filing BEs at Indian ports.

Effect of this Notification: Import of Urea (Agricultural grade) on Government account is allowed through Indian Potash Limited (IPL) subject to Para 2.21 of FTP, 2023, **till 31.03.2025**.

This issues with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/89/180/102/AM-02/PC-2(A)Part-II/E-1715]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.